

पत्र संख्या : 7ब/2700 गै०यो० ज०सं०-01/12..... 75

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी  
प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर  
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,  
जमशेदपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं  
एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 2.7.12

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2700-वृहद  
सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-01- वृहद सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन,  
उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 2700- वृहद सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में  
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित  
किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700-वृहद सिंचाई	01 वृहद सिंचाई- वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	5.330

कुल आवंटित राशि - रुपये पाँच लाख तैंतीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध ₹ 12564.29 लाख (एक सौ पचीस करोड़ चौंसठ लाख उनतीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)  
सहा. अभि.

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in> ) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 75 राँची, दिनांक :- 2.7.12  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौवा/घाटशीला/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 75 राँची, दिनांक :- 2.7.12  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-9/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त



(ओंकार नाथ)  
सहा. अभि.



(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव




मांगा संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-2700-वृहद सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-01-वृहद सिंचाई वाणिज्यिक  
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बाँध परियोजना


परिशिष्ट 1  
पत्रांक..... दिनांक..... का अनुलग्नक


लघु शाख-001-नदशन तथा प्रशासन/उप शाख-02-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय																विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय																विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में																	
वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते																विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय																विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय																विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर्रे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रसार	कुल योग	अभियुक्ति																																						
		विपत्र कोड																																																					
		49N270001001 020101	49N270001001 020101	49N270001001 020101	49N270001001 020110	49N270001001 020112	49N270001001 020213	49N27000100 1020315	49N2700010 01020316	49N27000100 1020323	49N270001 001020333	49N2700010 01020334	49N270001 001020337	49N270001001 020442	49N27000100 1020760																																								
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																					
1	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन 0.000	38.000	103.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.200	0.000	103.550																																							
		अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.330 #	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.330																																							
		कुल आवंटन 65.000	38.000	103.000	0.000	0.000	0.530	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.200	0.000	103.880																																							
2	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-5 डिमना, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 0.000	61.000	163.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	163.330																																							
		अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000 #																																							
		कुल आवंटन 102.000	61.000	163.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	165.330																																							
3	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-12 मानांगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन 0.000	88.000	235.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	235.350																																							
		अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000 #																																							
		कुल आवंटन 147.000	88.000	235.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000																																							
	अतिरिक्त आवंटन का योग	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.330	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.330																																							


नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11 / विविध-14 / 2010-50 / बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

# देशीय यात्रा व्यय मद में रु० 0.32470 लाख श्री विश्वनाथ प्रसाद हेतु कोर्ट केस सं० W/P(S) 5624/2011 में विभागीय पत्रांक सं०-1461 दिनांक-26.06.2012 द्वारा पारित तार्किक आदेश के आलोक में।  
## विधि प्रसार मद में आवंटन श्री चंद्रशेखर प्र० सिन्हा, विशेष सरकारी अधिकता के बकाया पारिश्रमिक के भुगतान हेतु।  
कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये पाँच लाख तैतीस हजार मात्र

  
(ऑफ़ीस नार्थ)  
सहायक अभियंता

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी० सी० निगम)  
विशेष सचिव

  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव